

Army का नहीं था और उसको ही लेकर कल मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ है, जिसके बारे में पिछले प्रश्न में उल्लेख आया। जहां तक सेना का संबंध है, वे Army Tribunal में केस जीत चुके थे, परंतु अब वह सुप्रीम कोर्ट में है, उसका जजमेंट रिजर्व्ड है। जहां तक एक्सपर्ट कमेटी के मंडेट का प्रश्न है, निश्चय ही वह प्रत्येक पहलू पर गौर करेंगे, क्योंकि 7th Pay Commission के चेयरमैन ने स्वयं यह कहा कि इसको discontinue किया जाए, तो इस बात के बारे में भी चर्चा होगी और उसको आगे बढ़ाना है, तो किस प्रकार बढ़ाना है। यह हो रहा है कि since it is a pyramid, जैसे-जैसे तरक्की होती है, तो ऊपर number of posts are lesser, तो शायद उस धारणा से इसका निर्णय लिया गया था, परंतु अब इसके साथ जो नई उलझनें पैदा हुई हैं, उनका हमें अनुभव मिला है और उनका संज्ञान लिया जा रहा है।

MS. DOLA SEN: Mr. Chairman, Sir, through you, I want to know if the Government has consulted the military officials for their views on Non-Functional Upgradation (NFU). If so, what are the details thereof?

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to share with the hon. Member that the expert Committee under Mr. Ratan Watal is mandated to go into all these aspects, and certainly it will gather views from wherever possible and whenever relevant, including the stakeholders. As all of us know, the stakeholders in this case are the Army personnel. So, naturally, they have already put across their case and that also will be deliberated accordingly.

#### बिहार में बिना अपने भवनों के केन्द्रीय विद्यालय

\*140. श्री राम नाथ ठाकुर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनके पास अपने भवन नहीं हैं;

(ख) ऐसे विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भवनों के अभाव में उच्च कक्षाओं में प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने की वजह से अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया बाधित होती है; और

(घ) सरकार ऐसे विद्यालयों में सभी सुविधाओं से युक्त भवन कब तक उपलब्ध करा पाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) आज की तारीख तक, बिहार में 17 केंद्रीय विद्यालय अपने स्वयं के भवन के बिना कार्य कर रहे हैं।

(ख) उपरोक्त 17 केंद्रीय विद्यालयों में से 3 केंद्रीय विद्यालयों में भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ है। बाकी 14 में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में पूरा करने हेतु संबंधित प्रायोजक प्राधिकार-प्रमुखतः बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है।

(ग) केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुरूप स्थायी भवन न होने से शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया प्रभावित होती है।

(घ) केंद्रीय विद्यालय के लिए स्थाई भवन का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त भूमि की पहचान करने, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में लीज संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने, निर्माण एजेंसी द्वारा ड्राइंग/अनुमान को प्रस्तुत करने, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर है। अतः इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

**Kendriya Vidyalayas without own buildings in Bihar**

†\*140. SHRI RAM NATH THAKUR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of Kendriya Vidyalayas in Bihar which do not have their own buildings;

(b) the details of efforts made by Government for the construction of buildings of such schools;

(c) whether it is a fact that due to lack of buildings, teaching-learning process in higher classes is hampered as no appropriate space is available for laboratories etc.; and

(d) by when Government would provide such schools with buildings equipped with all the facilities?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) As on date, there are 17 Kendriya Vidyalayas (KVs) running without their own buildings in the State of Bihar.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) Construction of buildings has been started in 3 KVs out of above 17 KVs. In the remaining 14 KVs, request has been made to be concerned sponsoring authorities, primarily Bihar Government, for transfer of land in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS).

(c) As per the norms of KVS, due to lack of permanent buildings, teaching-learning process is affected.

(d) Construction of permanent buildings for KVs is a continuous process, which depends upon identification of suitable land, completion of lease formalities in favour of KVS by the sponsoring authorities, submission of drawings/estimates by construction agency, availability of funds and requisite approvals etc. As such, no definite time frame can be given in this regard.

**श्री राम नाथ ठाकुर:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि तीन केंद्रीय विद्यालयों में भवन का निर्माण कब से चल रहा है और ये कब तक बन जाएंगे?

**श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक':** श्रीमन्, जो तीन विद्यालय भवन निर्माण में हैं, उनमें दो विद्यालयों में काम शुरू हो गया है और तीसरे की टेण्डरिंग हो रही है, उसको भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में 17 ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें बिहार सरकार ने हमें ज़मीन देनी है, अभी तक वह ज़मीन नहीं मिली है, इसलिए उन भवनों का निर्माण भी नहीं हो पाया है, लेकिन अभी जो तीन ज़मीनें उपलब्ध हुई हैं, उनमें युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है।

**श्री सभापति:** आपका सेकण्ड सप्लीमेंटरी क्या है?

**श्री राम नाथ ठाकुर:** बिहार सरकार को केंद्रीय विद्यालय की भूमि के लिए आवेदन कब किया गया? उसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

**श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक':** श्रीमन्, कुल मिलाकर बिहार में हमारे 48 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन प्रोजेक्ट के हैं और 28 में स्थायी भवन हैं, लेकिन जो 17 में नहीं हैं, हम लोगों ने 9 में चिन्हित कर दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक हमें 9 को भी हस्तांतरित नहीं किया है, जब कि पांच ऐसे हैं, जिनमें उन्होंने शुरू ही नहीं किया है और इसलिए जब भी स्थान, ज़मीन उपलब्ध होगी ... हम लोग लगातार कार्रवाई में भी हैं और हम राज्य सरकार से लगातार वार्ता भी कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: The question confines to Bihar. If Member who are from different States have something to ask about Bihar, the can. Otherwise, I will give opportunity to Members from Bihar.

**श्री राकेश सिन्हा:** सभापति महोदय, मेरा प्रश्न केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार भारतीय प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने अनुसंधान पर ज़ोर दिया है और 'जय विज्ञान' के साथ

[श्री राकेश सिन्हा]

'जय अनुसंधान' की बात की है, उस संबंध में मेरा प्रश्न भी है और सलाह भी है कि क्या केंद्रीय विद्यालयों के ज़ोनल क्षेत्र में पांच-पांच केंद्रीय विद्यालयों का एक क्लस्टर बनाकर उनके अनुसंधान का एक कॉमन क्षेत्र तैयार किया जा सकता है, जिनमें प्रतिभाशाली छात्रों और शिक्षकों का आदान-प्रदान हो और अनुसंधान को बढ़ाया जाए?

**श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक':** श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से जो नई शिक्षा नीति आ रही है और उस नई शिक्षा नीति में लगातार जो सुझाव आ रहे हैं और 10 विशेषज्ञों की कमेटी ने भी उसमें लगातार दो-तीन साल तक अध्ययन किया है, उसमें हम सब इसको समाहित कर रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उसमें विज्ञान, सामाजिक और तमाम प्रकार के विषयों को किस सीमा तक और किस स्तर पर समाहित किया जाएगा।

#### **Progress of POSHAN Abhiyaan**

141. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has any plan to hold a Conference of Ministers of Women and Child Development of all State Governments to deliberate on solutions related to malnutrition among women and children and to find out the progress of POSHAN Abhiyaan;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, the steps being taken to ensure that women and children are not malnourished in the country?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

#### ***Statement***

(a) and (b) The National Council on India's Nutritional Challenges under the Chairmanship of Vice-Chairman, NITI Aayog and the Executive Committee headed by Secretary, Ministry of Women and Child Development (MWCD), hold meetings periodically to review status of progress of POSHAN Abhiyaan.

National Council on India's Nutritional Challenges (NCINC) headed by Vice-Chairman, NITI Aayog consist of Ministers of line Ministries of Government of India, Chief Ministers of five States (on rotation basis), Secretaries of line Ministries, District Collectors/District Magistrates (DC/DMs) of 10 districts with highest prevalence of child stunting. NCINC has been set up to provide policy directions to address India's